

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-2716800 E-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

मांकः एफ 7(303)/रा.प्र.नि.मं./भण्डार/2024-25/748-754

दिनांक : 26 12 2024

### बिड सूचना संख्या 02/2024

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, जयपुर द्वारा समय—समय पर आवश्यकतानुसार वर्ष 2025—26 के लिए विविध स्टेशनरी सामग्री क्रय/आपूर्ति करने के लिए प्रतिष्ठित डीलर्स/विक्रेताओं आदि से वार्षिक दर अनुबन्ध करने हेतु बिड आमंत्रित की जाती हैं। मोहरबन्द बोलियां दिनांक 08.01.2025 को अपराह्व 3 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। अन्य विवरण निम्नानुसार है:—

बिड संख्या	सामग्री का विवरण	अनुमानित वार्षिक मूल्य	निविदा प्रतिभूति	बिड प्रपत्र का मूल्य	बिड प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	बिड खोलने की तिथि एवं समय
1.	विविध स्टेशनरी सामग्री क्रय/आपूर्ति	9.50 लाख	19,000.00	500 / —	08.01.2025 03.00 PM	08.01.2025 05.00 PM

- 1. निविदा प्रतिभूति के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2.. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
- 3. निविदा प्रपत्र एवं संबंधित, दस्तावेज वेबसाईट <a href="http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb">http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb</a> या <a href="http://sppp.raj.nic.in">http://sppp.raj.nic.in</a> से डाउनलोड किया जा सकते हैं। डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क राशि रूपये 500/— निविदादाता द्वारा पृथक से बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। मोहर बन्द बोलियाँ दिनांक 08.01.2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी, जो उसी दिन अपराह्न 05.00 बजे उपस्थित निविदादाता/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय सिमित द्वारा खोली जावेगी।
- 4. निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार उपापन प्राधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, जयपुर को होगा।

UBN:-

(जागेश्वर शर्मा)

प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)

क्रमांकः एफ 7(303)/रा.प्र.नि.मं./भण्डार/2024—25/748-754 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

2. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपर।

3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को एक क्षेत्रीय हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु।

4. वित्तीय सलाहकार / आहरण एवं वितरण अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

5. प्रभारी अधिकारी, (आई.टी. सैल), को भेजकर लेख है कि बिड सूचना एवं बिड शर्ते sppp पोर्टल एवं मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

6. कार्यालयाध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

7. नोटिस बोर्ड राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।

प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक:एफ 7(303) / रा.प्र.नि.मं. / भण्डार / 2024--25 /

दिनांक:

### निविदा एवं संविदा की शर्तें

नोट:—निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ कर ही निविदा भरनी चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनका पूर्ण रूप से पालन करना होगा अन्यथा इसके अभाव में की जाने वाली कार्यवाही के लिये स्वयं उत्तरदायी होगें।

- 1. निविदा सूचना में दिये हुए निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके भेजे जाने चाहिए।
- 2. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा लिफाफे पर "स्टेशनरी के लिए निविदा" स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिये। निविदा इस कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर अथवा राज्य उपापन पोर्टल से डाउनलोड प्रपत्र पर निर्धारित निविदा शुल्क राशि का डी.डी. संलग्न करने पर ही स्वीकार की जावेगी।
- 3. तकनीकी बिड (Annexure-E) एवं वित्तीय बिड (Annexure-F) अलग—अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में सफल / पात्र बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
- 4. निर्धारित निविदा प्रपत्र में दरें स्याही से/टंकित ही मान्य होगी, पैंसिल से भरी गयी अथवा निर्धारित प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रपत्र/फार्म के लेटर हैंड पर दरें अंकित कर संलग्न की जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबन्धनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। निविदा प्रपत्र में कोई परिर्वतन व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग/ओवरराईटिंग यदि कोई हो तो उसे काटकर दुबारा लिखकर उस पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये, निविदा में फ्लुइड इंक का प्रयोग नहीं किया जावे।
- 5. (i) निविदा प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिट) सामान्य श्रेणी के निविदादाता को निविदा के अनुमानित मूल्य के 2% निविदा प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। MSME, SSI एवं रूग्ण इकाईयों को RTPP नियमानुसार छूट प्रदत्त होगी, यदि वे उसी श्रेणी में जिसके लिए निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं में पंजीकृत है। निविदा प्रतिभूति के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रतिभूति बैक ब्राफ्ट वैंकर चैक के रूप में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur) के नाम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। निविदा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
  - (iii) निविदा के समय जमा करायी गयी निविदा प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में निविदा प्रतिभूति राशि से कम नही होगी।
  - (iii) प्रतिभूति निक्षेप का समपृहण— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपृहण किया जा सकेगा:—
    - (अ) जब निविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
    - (ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- 6. दरों में किसी भी स्थिति में परिर्वतन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंकों के साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
- 7. जी.एस.टी. कर पंजीयन— कोई भी बिडदाता जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित जी.एस.टी. कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बिड नहीं देगा। जी.एस.टी. पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाकर, पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

8. अनुमोदित प्रदायक के संबंध में यह समझा जायेगा कि विस्तृत विवरण, आकार मेक और रेखाचित्र आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली गई है। यदि इन शर्तों, विस्तृत विवरण, आकार मेक और रेखाचित्रों आदि के संबंध में संदेह हो तो निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिए तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।

- 9. निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा तथा न किसी को स्थानान्तरण कर सकेगा।
- 10. यदि अनुमोदित किस्म, मेक या सामान में बदलाव किया है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जावेगा तथा निविदादाता को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के निर्धारित समय में उसको बदलना होगा। दरें चाहेनुसार मेक / किस्म की ही दी जानी हैं।
- 11. अस्वीकृत की गई वस्तुओं को अस्वीकृत की सूचना की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर संवेदक द्वारा अवश्य हटा लिया जाना चाहिए। संबंधित कर्मचारी ऐसे सामान का ध्यान अवश्य रखेगें, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में रखें सामान को होने वाली हानि, कमी, क्षति के लिए किसी भी रिथित में जिम्मेदार नहीं होंगे।
- 12. निविदादाता सामान के पैंकिंग के लिए उत्तरदायी होगा तथा अच्छी स्थिति में क्रेता के कार्यालय में उसकी सुपुर्दगी देगा। प्राप्तकर्ता द्वारा माल सामान की सुपुर्दगी लेते समय कोई भी हानि, क्षिति, कमी, टूट—फूट या सामान की मात्रा में कोई कमी पाई जावेगी तो उस हानि, क्षिति, कमी टूट—फूट आदि का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा। इसके लिये संवेदक को कोई राशि देय नहीं होगी।
- 13. वस्तुओं का प्रदाय संतोषप्रद नहीं होने पर संविदा किसी भी समय बिना किसी सूचना के निरस्त करने का अधिकार निविदा स्वीकारकर्ता को होगा।
- 14. (i) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :— सफल निविदादाताओं को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अविध के भीतर एक करार पत्र रु. 500 / के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादन करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिये निविदाएं स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
  - (ii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स बैंक/चालान की रसीद की प्रति देनी होगी।
  - (iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में MSME, SSI एवं रूग्ण इकाईयों को RTPP नियमानुसार छूट प्रदत्त होगी, यदि वे उसी श्रेणी में जिसके लिए निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं में पंजीकृत है।
  - (iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  - (v) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के माध्यम से स्वीकार होगी।
- 15. असंतुलित बोली के मामले में सफल बोली लगाने वालों से अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी ली जायेगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति, असंतुलित बोली रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति, करार के निष्पादन से पूर्व सफल बोली लगाने वाले द्वारा एकमुश्त जमा की जायेगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ई—ग्रास, मांगदेय ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, सरकारी प्रतिभूतियों या (बैंक गारंटी या इलेक्ट्रानिक बैंक गारंटी (ई—बीजी)) के माध्यम से जमा की जायेगी।
- 16. प्रदाय (सप्लाई) की जाने वाली वस्तुओं के प्रति कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
- 17. (1) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर उक्त अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
  - (2) परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं:—



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: <a href="mailto:member-secretary@rpcb.nic.in">member-secretary@rpcb.nic.in</a>

(क) विहित स्पूर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनिधक के लिए 5%
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5%

(घ) विहित अवधि कि तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10% होगी।

(3) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा। आधे या अधिक भाग को पूरा दिवस माना जावेगा।

(4) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(5) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु: आदेश दिया है। किन्तु वह इसके लिऐ निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न की प्रदाय पूर्ण होने कि निर्धारित तारीख के बाद।

(6) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

- 18. निविदादाता या इसके प्रतिनिधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली याचना के कारण संविदा अमान्य हो जावेगी।
- 19. अनुबन्ध तथा निविदा शर्तों को भंग करने, अनुबन्ध तथा निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर अनुबन्ध भंग कर दिया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा।
- 20. क्रेता अधिकारी को किसी भी निविदा को जो न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार करने, रद्द करने तथा जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या उन में से किसी एक या अधिक के लिए निविदा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- 21. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जावेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से सुपुर्दगी आदेश प्राप्त होने पर 15 दिवस अवधि के भीतर माल सप्लाई करेगा विलम्ब अवधि के लिए वित्तीय एवं लेखा नियमों के अधीन वसूली की जावेगी।
- 22. निविदादाता की निविदा के साथ PAN की प्रति, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
- 23. कागज एंव स्टेशनरी आईटम के नमूनों को निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 24. निविदा प्रपत्र में वर्णित सामान के मेक / ब्राण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी मेक / ब्राण्ड की दरें अंकित नहीं की जावें। जहाँ ब्राण्ड / मेक अंकित नहीं है, निविदादाता ब्राण्ड / मेक अंकित करेगा।
- 25. उपरोक्त शर्तों के अलावा निविदा में से किसी भी अन्य शर्त / सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 26. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर एवं द्वितीय अपील अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर को की जा सकेगी। यदि किसी भी पक्ष द्वारा कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार जयपुर के न्यायालय होंगे, जयपुर के बाहर अन्य किसी स्थान पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
- 27. निविदा में वर्णित सामान में क्रय की मात्रा आवश्यकतानुसार बढाई या घटाई जा सकती हैं।
- 28. यह निविदा कार्यादेश जारी होने से एक वर्ष तक मान्य रहेगी। तथा आपसी सहमति से इसे RTPP Rules-2013 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

- 29. RTPP Act/Rules के नियम एवं बिड प्रपत्र अभिमत नियमों में भिन्नता होने पर RTPP नियम एवं शर्तें मान्य होगी।
- 30. बिंड में दरें सभी कर सहित अंकित की जावें / क्रेता अधिकारी करों की राशि का गुणन पृथक से नहीं करेगा।
- 31. यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सामान की दरों में वृद्धि होने पर अनुमोदित निविदादाता द्वारा आईटम की आपूर्ति से मनाही या आनाकानी की जाती है तो उस फर्म को Black List किया जा सकता है एवं प्रतिभूति राशि जब्त की कार्यवाही की जावेगी।
- 32. बिना बिड प्रपत्र मूल्य के बिड को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 33. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 34. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, RTPP Rules-2013 में उल्लेखित प्रावधान एवं समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश / निर्देश मान्य होंगे।
- 35. निविदादाता को उपरोक्त कार्य में भाग लेने के लिए विगत तीन वर्षों में वार्षिक औसत 3.00 लाख (अक्षरे राशि रूपये तीन लाख मात्र) टर्न ओवर होना आवश्यक होगा। इस हेतु सी.ए. से प्रमाणित ओडिटेड बेलेन्स शीट लगाया जाना आवश्यक होगा।
- 36. निविदादाता को किसी भी राजकीय संस्था विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथवा उपक्रम में वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड / डी—बार अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं किया होना चाहिए इस संबंध में 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पैपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथ—पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- 37. रा.प्र.नि.मं., मुख्यालय, जयपुर द्वारा निविदादाता की जमा अमानत राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 38. संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 39. स्वीकृत दरों के आधार पर निविदादाताओं को कार्यालय द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार संलग्न निर्दिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट सामान उपलब्ध कराना होगा। सामान लाने व ले जाने के लिए अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा। जारी आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्था नहीं होने पर स्वीकृत अनुबंध रद्द किया जा सकेगा तथा क्षतिपूर्ति के रूप में निविदादाताओं की जमा अमानत राशि जब्त की जा सकेगी।
- 40. निविदा दस्तावेजों की सम्पूर्ण प्रति को डाउनलोड कर निविदा में वर्णित समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर कर तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
- 41. यदि क्रय अधिकारी निविदा वस्तुओं में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा प्रारूप में वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजे हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।
- 42. प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी व्यवस्था एवं समग्र कार्य है जिसमें सभी प्रकार के सामान की आवश्यकता रहती है, परन्तु अलग—अलग सामान के न्यूनतम दरदाता भिन्न—भिन्न होते है। प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी व्यवस्था कार्यादेश एक ही निविदादाता को दिया जा सकता हैं। कार्यों के टुकडे सामान अनुसार नहीं किये जा सकते। ऐसी स्थिति में समग्र न्यूनतम दरदाता का निर्धारण सभी सामान हेतु प्राप्त दरों को प्रस्ताव मात्रा से गुणा कर समग्र न्यूनतम व्यय (दर) की गणना की जावेगी।



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

- 43. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा में केन्द्र/राज्य सरकार/स्वायतशाषी संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधीन किसी भी विभाग में गत 03 वर्षों में स्टेशनरी व प्रिन्टिंग सामान सप्लाई संबंधी 1.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष कार्य करने का अनुभव का साक्ष्य देना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदादाता की निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- 44. न्यूनतम निविदादाता की गणना करने के लिए अनुमानित मात्रा को दरों से गुणा करने पर कुल जोड में जो न्यूनतम आयेगा। उसे न्यूनतम दर दाता माना जायेगा।
- 45. निविदादाता को निविदा में मांगे गये दस्तावेजों की पूर्ति कर लगाया जाना आवश्यक होगा, मांगे गये दस्तावेजों की पूर्ति नहीं किये जाने पर उस फर्म को असफल माना जायेगा।
- 46. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार राज्य मण्डल को होगा।
- 47. सफल निविदादाता को राशि 500 / रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर राज्य मण्डल के हित में शर्तों की पालना हेतु अनुबंध पत्र लिपिबद्ध करना होगा, जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर होंगे।
- 48. दर निविदा अनुबंध की निविदा शर्तों की अवहेलना करने पर राज्य मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा कि स्वीकृत निविदादाताओं की अमानत राशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित कर सके।
- 49. यह दर निविदा वार्षिक दर संविदा के लिए की जा रही है। वर्ष भर में स्वीकृत दरों के आधार पर राज्य मण्डल आवश्कतानुसार सामान क्रय कर सकेगा।

50. बिड वैलेडीटी की अवधि 90 दिवस तक मान्य होगी।

(जागेश्वर शर्मा) प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

### **Technical Bid From**-Supply office Stationery

(Annexure-E)

### Bidder information

S.N.	Particulars	Information to be filled by the	Page No.
		<u>bidder</u>	
1.	Name & Postal address of the firm submitting the bid		
2.	Nature of Firm (Proprietor/Partnership/Company)		
3.	Name of the authorized person		
4.	Telephone Number (office/Mobile/Fax)		
5.	Email Id		,
6.	Firm Registration No. & Copy		
7.	PAN No & Copy		
8.	GST Registration No. & Copy		
9.	Work Experience in year		
10.	Work order of state govt./Central govt./Autonomous body/PSU in any of the last three years (one work order one lac or more should be must) (Mention Order No. Date and amount)		
11.	Bid document fee Rs.500/- in form of receipt/bankers cheque/DD payable to Member Secretary, RSPCB, Jaipur Mention No. Date and Amount		
12.	Bid Security @2% (19000/-) In form of receipt receipt/bankers cheque/DD payable to Member Secretary, RSPCB, Jaipur Mention No. Date and Amount		
13.	Last Three Year Financial Trun Over Certificate Audited by CA with UDIN no.		



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

- 1. Relevant documents in support of the above information have been submit under Signature and seal of the firm.
- 2. We agree to abide by all the conditions mentioned in NIB Number \_\_\_\_\_\_\_ issued by Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB), Jaipur and also the further condition of the said bid Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed with seal by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).
- 3. The bid shall remain valid for 90 days from the date of opening of technical bid.
- 4. The rates quoted are valid for one year from the date of issuing of the rate contract the period of contract can be extended with mutual agreement as per the provisions of RTPP rules.
- 5. Authorization of service provider/ manufacturer/distributor /Dealer etc.is also enclosed.
- 6. All conditions mentioned on Price schedule are accepted.
- 7. One set of samples shall be provided of the articles desired.

Signature of bidder with seal



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: <a href="mailto:member-secretary@rpcb.nic.in">member-secretary@rpcb.nic.in</a>

#### FOR REFRENCE PURPOSE ONLY

### Don't enclose with technical Bid

### **FINANCE BID**

(Annexure-F)

### Stationery supply etc.

क. स.	वस्तु का नाम मय विनिर्देशों	यूनिट	दर प्रति यूनिट
1.	शॉर्ट हैंड नोटबुक 200 पृष्ठ (सुपीरियर क्वालिटी) (20.5 सेमीX13 सेमी)	प्रति नग	
2.	स्टाम्प पैड (७० एमएम X ११० एमएम) अशोका या समकक्ष	प्रति नग	
3.	स्टाम्प पैड इंक 30 एमएल अशोका या समकक्ष	प्रति नग	
4.	स्केल 12 इंच प्लास्टिक सुपीरियर क्वालिटी	प्रति नग	
5.	स्केल 12 इंच स्टील सुपीरियर क्वालिटी	प्रति नग	
6.	स्टेपलर मशीन नं. 10 कंगारू/कोरस या समकक्ष	प्रति नग	
7.	स्टेपलर मशीन HD-10Big	प्रति नग	
8.	स्टेपलर पिन पैकेट नं. 10 (1000 पिन प्रति पैकेट) कंगारू/कोरस या समकक्ष	प्रति पेकेट	
9.	स्टेपलर मशीन HD-45Big	प्रति नग	
10.	स्टेपलर पिन पैकेट नं. 24/6 (1000 पिनप्रति पैकेट) कंगारू/कोरस या समकक्ष	प्रति पेकेट	
11.	स्टेपलर मशीन HD-23 S 17	प्रति नग	
12.	स्टेपलर पिन HD-23 S 17	प्रति पेकेट	
13.	करेक्टिंग फल्यूड (सफेद) पेन Correction fluid & diluter 15 ml each कंगारू / कोरस या समकक्ष	प्रति नग	
14.	बोरर (लकडी के हैन्डल) सुपीरियर क्वालिटी 12 इंच	प्रति नग	
15.	बोरर (लोहे के हैन्डल) सुपीरियर क्वालिटी 12 इंच	प्रति नग	
16.	पेपर कटर मिडीयम साईज नटराज या समकक्ष प्रति नग	प्रति नग	
17.	वी 7 पैन	प्रति नग	
18.	वी 5 पैन	प्रति नग	
19.	Reynolds Trimax Pen	प्रति नग	
20.	Reynolds Jetter Pen	प्रति नग	
21.	Cello Butterflow Ball Pen Red	प्रति नग	
22.	Cello Butterflow Ball Pen Blue	प्रति नग	
23.	Cello Butterflow Ball Pen Green	प्रति नग	
24.	Cello Butterflow Ball Pen Black	प्रति नग	
25.	Use & Throw Ball Pen Blue	प्रति नग	
26.	लाईनदार रजिस्टर 120 पेज (19.5x30सेमी) पेपर की साईज सुपीरियर क्वालिटी 58 GSM	प्रति नग	
27.	लाईनदार रजिस्टर 180 पेज (19.5x30सेमी) पेपर की साईज सुपीरियर क्वालिटी 58 GSM	प्रति नग	
28.	लाईनदार रजिस्टर 300 पेज (19.5x30सेमी) पेपर की साईज सुपीरियर क्वालिटी 58 GSM	प्रति नग	
29.	डिस्पेच रजिस्टर प्रिन्टेड 300 पेज 58 <b>GSM</b>	प्रति नग	
	रिसिप्ट रजिस्टर प्रिन्टेड 300 पेज 58 <b>GSM</b>	प्रति नग	
31.	उपस्थित पंजिका 26 पेज 70 GSM	प्रति नग	
32.	उपस्थित पंजिका 100 पेज 70 GSM	प्रति नग	



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: <a href="mailto:member-secretary@rpcb.nic.in">member-secretary@rpcb.nic.in</a>

33.	बिल रजिस्टर 200 पेज 70 <b>GSM</b>	प्रति नग
34.	पोस्टेज रजिस्टर 58 GSM	प्रति नग
35.	जैम क्लिप प्लास्टिक कोटेड (100 क्लिप प्रति पैकेट 28,33 एमएम)	प्रति पेकेट
36.	आलपिन पैकेट जेबरा (शुद्ध वजन 70 ग्राम)	प्रति पेकेट
37.	पिन क्यूशन (ऑल पिन बॉक्स)	प्रति नग
	बाइंडिंग क्लिप 15mm	प्रति पेकेट
	बाइंडिंग क्लिप 19mm	प्रति पेकेट
20	बाइंडिंग क्लिप 25mm	प्रति पेकेट
38.	बाइंडिंग क्लिप 32mm	प्रति पेकेट
	बाइंडिंग क्लिप 41mm	प्रति पेकेट
	बाइंडिंग क्लिप 51mm	प्रति पेकेट
39.	फाईल टैग कोटन सफेद / कलर सुपीरियर क्वालिटी (800 नग प्रति बण्डल) 6 इंच लम्बाई	प्रति बण्डल
40.	फाईल लैस लम्बाई 20 इंच सुपीरियर 100 नग	प्रति पेकेट
41.	गोंद की बोतल 700 ML प्लास्टिक / पीवीसी कन्टेनर सुपीरियर क्वालिटी	प्रति नग
42.	गोंद की बोतल 150 ML विथ ब्रुश प्लास्टिक / पीवीसी कन्टेनर	प्रति नग
43.	द्रांसपरेन्ट टेप 1/2 इंच 27-30 मीटर	प्रति नग
44.	ट्रांसपरेन्ट टेप 1 इंच 50 मीटर	प्रति नग
45.	ट्रांसपरेन्ट टेप 2 इंच 50 मीटर	प्रति नग
46.	खाकी टेपरोल 1/इंच 50 मीटर	प्रति नग
47.	खाकी टेपरोल 2/इंच 50 मीटर	प्रति नग
48.	एडेस्हिव स्लिप (76 MSX76 MS) डेसमेट (सेन्चुरी)	प्रति पेकेट
49.	एडेस्हिव स्लिप (25 MSX75 MS) 3 Color (सेन्चुरी)	प्रति पेकेट
50.	हाइलाइटर पैन सभी कलर (5 नग प्रति पैकेट) लक्जर	प्रति पेकेट
51.	पेन्सिल (नटराज / अपसरा / डोम्स)	प्रति पेकेट
52.	रबड़ (नटराज/अपसरा/डोम्स)	प्रति नग
53.	पंसिल शापनर सिंगल होल (नटराज/अपसरा/डोम्स)	प्रति नग
54.	पंचिग मशीन नं. 520 2.5 एम एम	प्रति नग
55.	पंचिग मशीन नं. 521 एमएम	प्रति नग
56.	पंचिग मशीन नं. डीपी 600	प्रति नग
57.	पंचिग मशीन डीपी 700 3.6 एम एम	प्रति नग
58.	एल टाईप प्लास्टिक फोल्डर फुल साईज सुपीरियर क्वालिटी	प्रति नग
59.	एल टाईप प्लास्टिक फोल्डर ए 4 साईज सुपीरियर क्वालिटी	प्रति नग
60.	स्तीप पेड 20 पेज (नीलगगन) (Conference Pad)	प्रति नग
61.	स्लीप पेड 80 पेज (नीलगगन)	प्रति नग
62.	स्पाईलर नोट बुक लाईनदार चार रंग में 100 पेज 70 GSM	प्रति नग
63.	स्पाईलर नोट बुक लाईनदार 60 पेज 70 <b>GSM</b>	प्रति नग
64.	ग्ल्यू स्टीक कोरस/फेवीस्टिक/केमलीन 15 ग्राम छोटी कैंची 20.5 सेमी स्टेनलेस—स्टील	प्रति नग
65.	रिंग फाईल प्लास्टिक ए४ साईज	प्रति नग
		प्रति नग
67.	रिंग फाईल प्लास्टिक फुलसाईज सुपीरियर क्वालिटी	प्रति नग
68.	बोथ साईज टेप आधा इन्च बोथ साईज टेप एक इन्च	प्रति नग
69.	डाक पैड लेदर 46—ए सुपीरियर क्वालिटी	प्रति नग
70.	७१५७ ५७ लदर ४०-५ सुपारयर क्वालटा	प्रति नग



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: <a href="mailto:member-secretary@rpcb.nic.in">member-secretary@rpcb.nic.in</a>

71.	डाक डायरी प्रिन्टेड 100 पेज 58 GSM		प्रति नग						
		TNPL	प्रति रिम						
7.0		Spectra	प्रति रिम						
72.	फोटोस्टेट रिम ए–4 साईज 75 GSM	Canon	प्रति रिम	1					
		JK Copier red	प्रति रिम						
		TNPL	प्रति रिम						
70		Spectra	प्रति रिम						
73.	फोटोस्टेट रिम एफ / एस साईज 75 GSM	Canon	प्रति रिम						
		JK Copier red	प्रति रिम						
74.	फाईल कवर लेमीनेटेड़ विभाग के नाम वाले प्रिन्ट कर		प्रति नग						
75.	फाईल पैड विभाग के नाम वाले प्रिन्ट करके		प्रति नग						
76.	लिफाफे विभागीय नाम प्रिन्ट खाकी 18X12 58 GSN	1	प्रति 100						
77.	लिफाफे विभागीय नाम प्रिन्ट खाकी 11X5 58 GSM		प्रति 100						
78.	लिफाफे विभागीय नाम प्रिन्ट खाकी 9X4 58 GSM		प्रति 100	-					
79.	लिफाफे विभागीय नाम प्रिन्ट सफेद लैब उपयोग हेतु 7	7X5 58 GSM	प्रति 100						
80.	लिफाफे लेमीनेटेड विभागीय नाम प्रिन्ट खाकी 18X12		प्रति 100						
81.	लिफाफे लेमीनेटेड विभागीय नाम प्रिन्ट खाकी 11X5!		प्रति 100						
82.	लिफाफे लेमीनेटेड विभागीय नाम प्रिन्ट खाकी 9X4 58	3 GSM	प्रति 100						
83.	लिफाफे ए—4 साईज लेमीनेटेड विभागीय नाम प्रिन्ट 80	प्रति नग							
84.	फाईल साईज लिफाफे लेमीनेटेड विभागीय नाम प्रिन्ट	प्रति नग							
85.	एल टाईप कागज फोल्डर लेमीनेटेड विभागीय नाम प्रि	प्रति नग							
86.	एल टाईप कागज फोल्डर विभागीय नाम प्रिन्ट 100 GS	प्रति नग							
87.	कार्यालय टिप्पणी (क्रमिक) नोटशीट विभागीय नाम प्रिन पेज प्रति बन्डल	प्रति बन्डल							
88.	8. कार्यालय टिप्पणी नोटशीट विभागीय नाम प्रिन्ट 70 GSM पेपर पर 100 पेज प्रति प्रित बन्डल बन्डल								
89.	वाहन लॉग बुक 200 पेज सजिल्द 27X22 विभागीय न	गाम प्रिन्ट 70 GSM	प्रति नग						
90.	पेन ड्राईव 8 GB HP/Sandisk/ Kingston या समय	नक्ष	प्रति नग						
91.	पेन ड्राईव 16 GB HP/Sandisk/ Kingston या सम		प्रति नग						
92.	पेन ड्राईव 32 GB HP/Sandisk/ Kingston या सम	प्रति नग							
93.	पेन ड्राईव 64 GB HP/Sandisk/ Kingston या सम	प्रति नग							
94.	पेन ड्राईव 128 GB HP/Sandisk/ Kingston या स	प्रति नग							
95.	पेन ड्राईव 256 GB HP/Sandisk/ Kingston या स	प्रति नग							
96.	केल्कुलेटर 120 स्टेपचैक 12 डिजिट Casio/Citizen	प्रति नग							
	पेपर वेट कांच/प्लास्टिक के चोकोर	प्रति नग							
98.	. चिट बटन प्लास्टिक फोल्डर प्रति नग								
99.	सीडी मार्कर (Camlin)		प्रति पेकेट						
	परमानेन्ट मार्कर (Camlin)		प्रति पेकेट						
101	प्रोग्रामर स्टेण्ड (प्लानर)								



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-2716800 E-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

#### Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti- competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidder's with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### **Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. Have controlling partners/shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them ; or
- c. Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process: or
- e. The Bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid in result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limits the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

#### Annexure B: Declaration by the Bidder regarding QualificationsDeclaration by the Bidder

	In relat	ion to	our	Bid	subn	nitted	to th	ne Memb	er Se	cret	tary, Ra	jas	than	State	e Po	llutio	on Cont	rol
Board	, Jaipur f	or sup	plying	gpre	epare	ed mat	terial/	work/ser	vice e	tc.	in respo	ons	e to t	heir	Not	ice In	viting B	ids
No		Dated				we h	ereby	declare	unde	er S	Section	7	and	11	of	the	Rajasth	an
Trans	parency i	n Publ	ic Pro	cure	emer	nt Act,	2012	, that;										

- 1) I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources And competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2) I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government of the State Government or any authority, as specified in the Bidding Document.
- J/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/mr affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4) I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of and criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 1/We do not have a confect of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:	Signature of the bidder:
Place:	Name:
-	Designation:
	Address:

Signature of Bidder



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: <a href="mailto:member-secretary@rpcb.nic.in">member-secretary@rpcb.nic.in</a>

### Appendix C: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

The designation and address of the first Appellate Authority is Chairperson, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur

#### 1- Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the bidding document, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: providing further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening the Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 1- The officer to whom an appeal is filed under para (a) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within a period of 30 days of the date filling of the appeal.
- 2- If the officer designated under para (a) fails to dispose of the appeal within the period specified in para (B) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the specified in para (b) or date of receipt of the order passed by the 1st Appellate Authority, as the case may be.

### 3- Appeal not be lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- a) Determination of need of procurement;
- b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;
- c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) Cancellation of a procurement process;
- e) Applicability of the provision of confidentiality.

#### 4- From and procedure of filing an appeal

- 1- An appeal under para (1) or (3) shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents the appeal.
- 2- Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any, verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- 3- Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

#### 5- Fee for filing appeal

- 1- Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- 2- The fee shall be paid in the form of bank, demand draft or banker's Cheam of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

#### 6- Procedure for disposal of appeals

- 1- The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- 2- On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  - (a) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to, the matter.
- 3- After hearing the parties, peruse or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- 4- The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder



Headquarter, 4, Institutional Årea, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: <a href="mailto:member-secretary@rpcb.nic.in">member-secretary@rpcb.nic.in</a>

### FORMNo.1

[See rule 83]

IV	lemorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012
Α	ppeal Noofof.
	efore the(First/SecondAppellate uthority)
1.	Particulars of appellant;
	(I) Name of the appellant:
	(ii) Official address, if any:
	(iii) Residential address:
2.	Name and address of the respondent(s); (I)
(ii	
(iii	
3.	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, acti1m or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;
4.	If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6.	Grounds of appeal: (Supported by an affidavit)
7.	Prayer
	Place
	Date

Appellant's Signature



Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 Phone: 0141-2716800 E-mail: <a href="mailto:member-secretary@rpcb.nic.in">member-secretary@rpcb.nic.in</a>

### **Annexure D:Additional Conditions of Contract**

#### I. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct: arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- 1- if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the, total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- 2- If there an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- 3- If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to I and 2 above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid sect ring Declaration shall be executed,

### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- 1- At the time of award of contract, the quantity of good, work or services origin :1.lly specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- 2- If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Condition of contract.
- 3- In case of procurement of good or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rate and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the suppler.

### 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in caseofprocurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured front the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical I and vital nature, m such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid it accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rateof the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder